न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)
पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 66 / 2024

GCMS No. 2024 / 258

महेन्द्र सिंह पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी कोलिण्डा बास उतरादा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।

–प्रार्थी

बनाम

1. गीता देवी पत्नी हीराराम जाति जाट निवासी कोलिण्डा बास उतरादा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
2. मन्जू पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी कोलिण्डा बास उतरादा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
3. मुनेश पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी कोलिण्डा बास उतरादा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
4. संदीप कुमार पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी कोलिण्डा बास उतरादा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बिसाऊ
6. सुनिता देवी पत्नी संदीप कुमार जाति जाट निवासी कोलिण्डा बास उतरादा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील प्रार्थी –मोहम्मद रशीद खान
वकील अप्रार्थी–श्री विजयसिंह लालपुरिया

निर्णय

दिनांक 10.09.2025

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है किवाके ग्राम कोलिण्डा पटवार हल्का कोलिण्डा की सरहद में भूमि ख0न0 855 / 62 रकबा 0.21 है0 भूमिअवस्थित है। उक्त भूमि आवेदककी खातेदारी काश्तकार की भूमि है। ग्राम कोलिण्डा में भूमि ख0न0 66 रकबा 0.52 है0 भूमि अनावेदक संख्या 1 लगायत 4की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। जिस पर वे काबिज काश्त है। आवेदक अपनी भूमि में आने जाने के लिये कोलिण्डा से बास भूतिया जाने वाली सड़क से भूमि ख0न0 66 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे होते हुये नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु ए से बीतक आवागमन करते है। अनावेदकगण उक्त रास्ता बन्द करने की धमकी दे रहे है। आवेदक के पास अपने खेत में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है इसलिये आवेदकगण उक्त रास्ते को 6 मीटर चौड़ा राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज करवाना चाहते है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदक को अपनी भूमि खेत ख0न0 855 / 62 में आने–जाने के लिये अनावेदकगण के खेत ख0न0 66में नजरी नक्शे में दर्शाये बिन्दु ए से बीतक 6 मीटर चौड़ा रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता अकंन किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

41

राजस्व वाद संख्या 66 / 2024
GCMS NO. 2024 / 258
महेन्द्रसिंह बनाम गीता देवी वगै0
आदेश दिनांक 10.09.2025

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार बिसाऊ से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 व 6 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाने, रास्ते में आने वाले पेड़ दिलवाये जाने तथा तारबन्दी वापस करवाई जाने की सहमती प्रदान करने पर 6 मीटर चोड़ा रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आवेदक के पास अपने खेत में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है इसलिये नजरी नक्शे में दर्शित रास्ताराजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाने पर रास्ता दिये जाने में सहमती व्यक्त की। आवेदक व अनावेदकगण की ओर से कायम किया जाने वाला रास्ता व रास्ते में आने वाली भूमि के बदले दी जाने वाली भूमि का प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि ख0न0 855 / 62 में आने जाने हेतु खेत ख0न0 66 में सेप्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार मार्क ए से बी रास्ता चाहा गया है। अप्रार्थीगण रास्ते में आने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाने पर रास्ता दिये जाने में सहमत है। तहसीलदार बिसाऊ की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। आवेदक व अनावेदकगण की ओर से कायम किया जाने वाला रास्ता व रास्ते में आने वाली भूमि के

बदले दी जाने वाली भूमि का प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया है जिस पर दोनो पक्षकार सहमत है।इसलिये दोनो पक्षों की सहमती के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। आवेदक को खेत खसरा नम्बर 855/62 में आने–जाने के लिये ख0न0 66 में से आवेदक व अनावेदकगण की ओर से कायम किया जाने वाला रास्ता व रास्ते में आने वाली भूमि के बदले दी जाने वाली भूमि का नजरी नक्शा/प्रस्ताव अनुसार बिन्दु ए से बी तक 6 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले नजरी नक्शा/प्रस्ताव में लाल स्याही से दर्शित बिन्दु बी से सी की भूमि अनावेदकगण 1 लगायत 4 के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। नजरी नक्शा/प्रस्ताव आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर